यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़** के माह दिसम्बर 2014 से अक्टूबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 10.11.2016 तक श्री शशिकान्त पाण्डेय, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.12.2014 से 18.12.2014 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह मार्च 2012 से नवम्बर 2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा जनपद के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराये जाते है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	1478	1379.8	570.64	564.37		6.27
2015-16	-	-	1496.94	1408.07	300.44	293.03		7.41
2016-17 (Up to 09/2016)	-	-	1335.32	133.29	319.16	317.12		9.04

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17 (Up to 2016)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई अ श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जुलाई 2016 एवं मार्च 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

(इस भाग में नियमितता से संबंधित मामले/विशिष्ट विषयों के मामलें एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

1- विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण के अभाव मे रु. 75.79 लाख के लागत के ट्रांज़िट हॉस्टल (8 कक्षीय) पिथौरागढ़ के निर्माण पर रु. 29.10 लाख का परिहार्य ब्यय, एवं निर्माण कार्य का 8 वर्ष के विलंब से पूर्ण होना।

भाग-दो(ब)

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होगें। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

1- ` 99.17 लाख व्यय होने के बावजूद अपूर्ण कार्य पूर्ण घोषित कर हस्तांतरित कर दिया जाना।
2- विभागीय शिथिलता के कारण रु. 20.93 लाख का असमायोजित रहना।
3- ` 90139.00 ब्याज की धन राशि को सरकारी कोष में वापस नहीं किया जाना।
4- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दवाईयों के खरीद हेतु प्राप्त ` 24.00 लाख का अवरोधन।

भाग-III

(इस भाग के विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
24/2014-15	NIL	4
02/2012-13	0	2
40/2010-11	1	1
155/2008-09	1,2,3	1
65/2007-08	1,2	1,2
110/2006-07	0	1,2,3
43/2005-06	1,2	0

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय।)

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा सूचित किया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे ही महालेखाकार (ले.प.) कार्यालय को भेजा जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

.....NIL.....

भाग दो- "अ"

प्रस्तर 1_: विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण के अभाव मे रु. 75.79 लाख के लागत के ट्रांज़िट हॉस्टल (8 कक्षीय) पिथौरागढ़ के निर्माण पर रु. 29.10 लाख का परिहार्य ब्यय, एवं निर्माण कार्य का 8 वर्ष के विलंब से पूर्ण होना।

जनपद पिथौरागढ़ मे स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 2003 मे चिकित्साधिकारियों के लिए ट्रांज़िट हॉस्टल निर्माण का निर्णय लिया गया था एवं पत्रांक विविध-1/2003-04/21 दिनांक 25.09.2003 द्वारा पिथौरागढ़ मे (आठ कक्षीय) ट्रांज़िट हॉस्टल भवन के निर्माण का प्रारम्भिक आगणन रु. 59.41 लाख का शासन को भेजा गया था जो उत्तरांचल शासन द्वारा शासनादेश संख्या - 1553/चि0-03-2003-187/2003 दिनांक 19.02.2004 के द्वारा रु 46.69 लाख स्वीकृत कर रु. 5.00 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप मे माह 10/2004 को अवमुक्त किया गया था। इस निर्माण कार्य का दूसरा किस्त शासनादेश 37/xxviii (3)-04 के द्वारा रु. 30.00 लाख की धनराशि दिनांक 17.03.2005 को अवमुक्त हुआ एवं तीसरा किस्त माह अप्रैल 2006 को धनराशि रु. 11.69 लाख शासन से अवमुक्त हुआ था। यह कार्य अक्टूबर 2004 मे प्रारम्भ किया गया था। विभाग ने रु. 5 लाख चेक के द्वारा उ. प्र. रा.निर्माण निगम को उपलब्ध कराया था (पत्रांक 175 दिनांक 22.03.2004)

11 मई 2004 को विभाग ने पत्रांक 939 दिनांक 11.05.2004 के माध्यम से निर्माण एजेंसी से पूछा कि धन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा यह कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया। पुनः विभाग द्वारा लिखे गए पत्रांक 212 दिनांक 1.07.2004 से विदित होता है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था।

निर्माण एजेंसी ने पत्रांक 395 दिनांक 14.07.2004 द्वारा (5 महीने बाद) विभाग को सूचित किया कि भूमि कम होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। विभाग द्वारा शासन को पत्रांक 442 दिनांक 14.12.2004 के माध्यम से सूचित किया गया कि निर्माण एजेंसी को भूमि उपलब्ध करा दिया गया है।

विभाग द्वारा 28.07.2005 को एजेंसी के निर्माण कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किया गया था (एक साल बाद)। 'संयुक्त निरीक्षण आख्या' मे निर्माण कार्य को संतोषजनक बतलाया गया था एवं निर्माण एजेंसी के अवर अभियंता द्वारा अगले तीन माह के अंदर[1] निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया था। यह संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्रांक 692-93 दिनांक 26.08.2005 के माध्यम से शासन को भेजा गया था।

[1] माह अक्टूबर 2005 तक

विभाग ने शासन से पुनरीक्षित आगणन रु. 59.05 लाख की स्वीकृति पत्रांक 800-801/2.9.2005 के द्वारा मांगा था। शासन ने कमियाँ बतलाते हुए उन्हे दूर कर आगणन को पुनः प्रेषित करने हेतु विभाग को निर्देशित किया था (पत्रांक 13500 दिनांक 22.04.2006)।

निर्माण एजेंसी ने पत्रांक 732 दिनांक 6.11.2006 द्वारा विभाग को सूचित किया कि ब्लाक-1 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त ब्लाक के चार आवासों के सिविल एवं विद्युत कार्य की इनवेंटरी का विवरण भी उपलब्ध करा दिया गया था।

विभाग ने कुछ कमियों को गिनाते हुए बिना विद्युत संयोजन एवं बिना जाली-दरवाजा लगे ही दिनांक 25.01.2007 को पत्रांक 1723 के माध्यम से अधिग्रहित कर लिया था।

शासन ने विभाग के पत्रांक 7प/1/24/2003/32586 दिनांक 18.10.2008 का हवाला देते हुए 46.69 लाख के सापेक्ष रु. 75.79 लाख के पुनरीक्षित लागत को प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु. 29.1 लाख तुरंत अवमुक्त कर दिया था। विभाग ने अपने पत्रांक 4873 दिनांक 25.03.2009 के माध्यम से निर्माण एजेंसी को रु. 29.1 लाख कि धनराशि बैंकड्राफ्ट 300227 दिनांक 13.03.2009 के माध्यम से एजेंसी को अवमुक्त कर दिया गया है।

विभाग ने अपने पत्रांक 3139 दिनांक 21.10.2009 के माध्यम से निर्माण एजेंसी से उक्त निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ[2] करने का अनुरोध किया। अगले दो सालों तक विभाग और निर्माण एजेंसी के बीच किसी तरह के वार्ता का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

चिकित्सा मंत्रालय ने पत्रांक 1939/VIP/11 दिनांक 3.6.2011 के माध्यम से पूछा कि टीबी चिकित्सालय पिथौरागढ़ के परिसर मे टाइप-4 के चार ट्रांज़िट आवास के लंबे समय से निर्माणाधीन रहने के क्या कारण थे, जबकि पूर्व मे ही धनराशि उपलब्ध करा दिया गया था? मंत्रालय ने उक्त निर्माण कार्य के प्रति असंतोष जताते हुए, निर्माण संबन्धित सूचना तलब किया था। विभाग ने पत्रांक 2892 दिनांक 7.7.2011 द्वारा निर्माण एजेंसी से निर्माण एजेंसी ट्रांज़िट हॉस्टल के निर्माण संबंधी सूचनाएँ तथा स्वीकृति का वर्ष, पूर्व स्वीकृति, लागत इत्यादि के बारे मे पूछा था। वस्तुतः यह समान्य सूचनाएँ विभाग के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए थी।

विभाग ने पत्रांक 3007 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से निर्माण एजेंसी से पूछा कि पुनरीक्षित आगणन कि धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी का रवैया काफी लापरवाही भरा रहा। उसने विभाग के पत्रों का कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया। अतः विभाग ने पुनः उक्त सूचनाओं की प्राप्ति एवं निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने के संदर्भ मे पत्रांक 3670 दिनांक 5.09.2011 निर्माण एजेंसी को प्रेषित किया था।

विभाग द्वारा लिखे पत्रों का जवाब देने के बजाय निर्माण एजेंसी ने पुनरीक्षित लागत रु. 89.73 लाख एवं पूरक आगणन लागत रु. 13.94 लाख विभाग को भेज दिया गया था (पत्रांक 195 दिनांक

[2] धन अवमुक्त करने के 6 महीने बाद

3.10.2011 एवं पत्रांक 208 दिनांक 13.10.2011)। विभाग ने बिना कोई प्रश्न पुछे या पुनरीक्षित लागत एवं पूरक आगणन के औचित्य पर प्रश्न उठाए ही, उसे स्वीकृति हेतु शासन को भेज दिया था (पत्रांक 4715 दिनांक 17.10.2011)।

विभागीय पत्रावली या अभिलेख मे संप्रेक्षा को वर्ष 2011 के बाद निर्माण संबंधी कोई भी पत्राचार/आख्या प्राप्त नहीं हुआ है।

Fund-flow रजिस्टर की जांच करने पर संप्रेक्षा को उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु अवमुक्त किए गए धनराशि की जानकारी मिली, जिसका विवरण निम्नवत है -

Fund-flow सारणी

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	माह	प्राप्त धनराशि (रु. लाख मे)
1	2004-05	6/2004	5.00
2		3/2005	30.00
3	2006-07	04/06	11.69
4	2008-09	03/09	29.10

उक्त निर्माण कार्य पर वर्तमान मे संप्रेक्षा तक रु. 75.79 लाख का ब्यय किया जा चुका था। उक्त कार्य के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कि वर्ष 2005 के अक्टूबर माह मे ही कार्य को पूर्ण[3] कर लिया जाना था और 'संयुक्त निरीक्षण आख्या' मे भी निर्माण कार्य को संतोषजनक बतलाया गया था, परंतु अचानक से उसी पूर्ण हुए निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन भेजने की क्या आवश्यकता थी, इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि कार्य की पूर्ण धनराशि 2008-09 मे प्राप्त हुआ था। विभाग का उत्तर भ्रामक है क्योंकि मूल स्वीकृत आगणन की धनराशि रु. 46.69 लाख अप्रैल 2006 तक उपलब्ध करा दिया गया था।

वर्ष 2004 मे भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही वित्तीय नियमों[4] के विपरीत निर्माण एजेंसी को धनराशि अवमुक्त करने के कारण के बारे मे पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि केवल रु. 4.00 लाख का धनराशि ही उपलब्ध कराया गया था। उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि 4.00 लाख का धनराशि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण एजेंसी को अवमुक्त करना नियम विरुद्ध था।

संप्रेक्षा द्वारा यह पुछे जाने पर कि अधिग्रहण के समय निर्माण कार्य (वर्ष 2007) पूर्ण था, तो उसी कार्य हेतु बाद मे पुनः पूनरीक्षित आगणन की आवश्यकता कैसे हुई, इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि बर्ष 2007 मे मात्र 4 ब्लॉक(सेट) का निर्माण हुआ था, शेष 4 ब्लॉक का निर्माण बाद मे हुआ था। उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि आगणन/स्वीकृति 8 ब्लॉकों के निर्माण को लेकर

[3] अधिकांश कार्य संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा पूर्ण और संतोषप्रद पाया गया था।

[4] वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI नियम - 378 : "No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers".

था। बिना निर्माण पूर्ण हुए कार्य को हस्तांतरित कर लेना विभाग के शिथिलता/लापरवाही का परिचायक था।

निर्माण एजेंसी का रवैया काफी सुस्त और लापरवाही भरा रहा था, जिसके कारण कार्य कि लागत और समय कई गुना तक बढ़ गया था। परंतु एक बार भी विभाग ने निर्माण एजेंसी को कोई चेतावनी नहीं दिया या कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा कार्य के सतत अनुश्रवण (monitoring) किए जाने के बारे मे संप्रेक्षा द्वारा पुछे जाने पर विभाग ने बतलाया कि निर्माण एजेंसी को समय से पूर्ण करने हेतु अवगत कराया गया था। उत्तर संप्रेक्षा को अमान्य है क्योंकि अभिलेखों कि जांच मे निर्माण एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार एक भी दंडात्मक कार्यवाही या चेतावनी दिये जाने का प्रमाण नही मिला था।

प्रारम्भ से वर्तमान तक के सभी अनुश्रवण रिपोर्टों कि छाया प्रति संप्रेक्षा द्वारा मांगे जाने पर इकाई ने कोई भी अभिलेख संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया था।

इस प्रकार विभागीय शिथिलता एवं अनुश्रवण के अभाव मे रु. 75.79 लाख के लागत के ट्रांज़िट हॉस्टल (8 कक्षीय) पिथौरागढ़ के निर्माण पर रु. 29.10 लाख का परिहार्य ब्यय एवं निर्माण कार्य के 8 वर्ष के विलंब से पूर्ण होने के प्रकरण को शासन के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ` 99.17 लाख व्यय होने के बावजूद अपूर्ण कार्य पूर्ण घोषित कर हस्तांतरित कर दिया जाना।

जनपद पिथौरागढ़ के बिनकोट में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य शा.स. 991/XXIII(3)2004-193/2004 दिनांक 23.03.2005 के द्वारा मूल स्वीकृति लागत ` 31.60 लाख स्वीकृत हुआ था। उक्त लागत को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षीत आगणन ` 69.14 लाख का प्रस्तुत किया गया था।

उक्त पुनरीक्षित आगणन पर उपस्थित चेक लिस्त के अनुसार निम्न कार्य सम्पन्न किये जाने थे।

1- मुख्य भवन
2- श्रेणी एक आवास दो नग
3- श्रेणी चार आवास एक नग
4- श्रेणी दो आवास एक नग
5- स्थल विभाग
6- रेन वाटर हास्वेस्टिंग
7- पहुंच मार्ग
8- सेप्टिक टैक सोकपिट
9- चहार दीवारी
10 बाह्य जल संयोजन
11 जल संचयन टैंक
12 बाह्य जल संयोजन

13 बाह्य विद्युत संयोजन

कार्यादायी संस्था द्वारा प्रस्तुत हस्तांगत प्रमाण पत्र एवं मु. चि. अ. पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित के अनुसार केवल मुख्य क नग, श्रेणी दो आवासा एक नग एवं श्रेणी एक आवास दो नग का हस्तांतरण हुआ। अर्थात श्रेणी चार आवास एक नग सेप्टिक टैंक सोक विट (श्रेणी चार आवास श्रेणी दो आवास मुख्य भवन, श्रेणी एक आवास) का कार्य नही हुआ। यद्यपि, उपलब्ध सूचनानुसार उक्त कार्य पर अतिथि ` 99.17 लाख व्यय हो चुके है। (संदर्भ मु.चि.अ. पिथौरागढ़ का पत्रांक एम.पी.आर./2015-16/53 दिनांक 08.04.2015)

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने टिप्पणी की कि कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित हो चुका है।

विभागीय उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि प्रथमतः विभाग ने पूर्ण होने का कोई साक्ष्य यथा हस्तांतरण प्रमाण पत्र, नहीं प्रदान किया और दूसरे विभाग द्वारा उल्लेखित व्यय धनराशि ` 70.20 लाख एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 08.04.2015 को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून को प्रेषित एम.पी.आर. में वर्णित व्यय (` 99.17 लाख) में भारी अन्तर है। विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथि भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो "ब"

प्रस्तर 2: विभागीय शिथिलता के कारण रु. 20.93 लाख का असमायोजित रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol.-VI के नियम संख्या 553 (c) के अनुसार सभी दायित्वों को उसी वर्ष मे समायोजित कर देना चाहिए। नियम संख्या 519(b)[5] एवं 514[6] के अनुसार अवशेष धनराशि विभाग को वापस किया जाना भी निर्माण एजेंसियों के लिए बाध्यकारी है।

[5] पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की अब्ययित धनराशि को संबन्धित विभागों को वापस किया जाना चाहिए।

[6] निक्षेप कार्य पूर्ण/हस्तगत कराये जाने के बाद निक्षेप कार्य के खाते यथाशीघ्र बंद कर देने चाहिए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच से विदित होता है कि वर्ष 2010 से 2014 के मध्य आरंभ किए गए निम्नलिखित निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुके थे। पूर्ण हो चुके कार्यों की अवशेष धनराशि को निर्माण एजेंसियों से प्राप्त कर (ब्याज सहित) शासन को वापस किया जाना चाहिए था और अपने खातों को तदनुसार समायोजित करना चाहिए था। परंतु, संप्रेक्षा द्वारा विभाग के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत अवशेष/असमायोजित धनराशि को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कोई भी पत्राचार संबन्धित निर्माण एजेंसियों से नहीं किया गया था।

सारणी-1

(रु. लाख मे)

कार्य का नाम	**कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष**	**कार्य की वर्तमान स्थिति**	**प्राप्त राशि**	**ब्यय राशि**	**अवशेष/ असमायोजित राशि**
उपकेंद्र नरवाघोल, पिथौरागढ़	2012-13	पूर्ण 100%	14.41	10.49	3.92
उपकेंद्र मलकडाधार, पिथौरागढ़	2013-14	पूर्ण 100%	17.90	16.00	1.90
उपकेंद्र नाकोट, पिथौरागढ़	2010	पूर्ण 100%	13.68	11.50	2.18
उपकेंद्र रुंग, पिथौरागढ़	2011-12	पूर्ण 100%	18.00	13.00	5.00
उपकेंद्र मर्सोली	2013-14	पूर्ण 100%	18.00	10.07	7.93
		योग	81.99	61.06	**20.93**

इस प्रकार विभागीय शिथिलता के कारण रु. 20.93 लाख के असमायोजित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- ` 90139.00 ब्याज की धन राशि को सरकारी कोष में वापस नहीं किया जाना।

जिला टी.बी. अधिकारी पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि National Mental Health Programme (NMHP) के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 05.11.2014 को विभाग के पास 8320000.00 थे और दिनांक 09.12.15 को अन्तिम अवशेष ` 8658066.00 था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय ` 45860.00 एवं अर्जित ब्याज ` 90139.00 (As on 25.06.16) था। विभागीय अश्युक्ति अनुसार कार्यक्रम के प्रभावी नहीं रहने के कारण ` 8658066.00 वापस कर दिया गया। अर्थात ब्याज की धनराशि ` 90139.00 का वापस किया जाना अपेक्षित था।

सम्प्रेक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि उक्त व्यय ` 45860.00 प्रशिक्षण विज्ञापन एवं यात्रा भत्ता पर व्यय था एवं ` 90139.00 महानिदेशालय को वापस कर दिया जायेगा।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड के पत्रांक 19प/8/168/2008/IX/1701 दिनांक 18.03.16 के अनुसार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन नहीं किया गया था। पुनः अर्जित ब्याज की इतनी अवधि तक रोककर रखा जाना। विभागीय उदासीनता को दर्शाता है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत दवाईयों के खरीद हेतु प्राप्त ` 24.00 लाख का अवरोधन।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 06 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ को दवाईयां उपलब्ध कराने के उद्देश्यों के उत्तरांचल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटी के पत्र संख्या UAHFWS/F&Fund-Trf/NRHM Addit A/C/14-15/03 दिनांक 11.11.14 एवं UAHFWS/F&Fund-Trf/NRHM Addit A/C/14-15/05 दिनांक 19.01.2015 द्वारा ` 24.00 लाख की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ को भारत सरकार से वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दवाईयां वितरण करने के लिए प्राप्त हुआ था। परन्तु लेखा अभिलेखों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत दो वर्षों में कार्यालय द्वारा दवाईयों के खरीद पर किसी भी प्रकार की धनराशि व्यय नहीं की गयी थी, न ही धनराशि को शासकीय खातें में जमा कराया गया था।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि दवाईयां ई.डी.एल. सूची की है, इस कारण दवाओं का क्रय नहीं किया जा सका तथा धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रसारित हो जाती है, जिस कारण धनराशि शासन को समर्पित नहीं किया जा सका। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

यदि दवाईयां ई.डी.एल. सूची की है जिनका क्रय इकाई द्वारा संभंव नहीं है तो उक्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जानी चाहिए थी।

इस प्रकार ` 24.00 लाख के अवरोधन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	डा. डी.के. श्रीवास्तव	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	30.09.2015 तक
2.	डा. यू.एस. अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01.10.2015 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)